सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 122/2019

1. प्रदुमन सिंह पुत्र करतार सिंह ज़ाति जटसिख उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. खजानसिंह पुत्र करतारसिंह
2. बलवीरसिंह पुत्र करतारसिंह
3. लखविन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्रसिंह
4. गुरमुखसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
5. गुरजोतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह

(1 से 5) कोम जट सिख निवासीयान चक 15 एफ बडा, मटीलीराठान तह. व जिला श्रीगंगानगर

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राज0)

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: –

1. श्री भारत भूषण नागपाल –प्रार्थी
2. श्री राकेश कुमार –अप्राथीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.12. 2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 15 एफ बड़ा पटवार हल्का मटीलीराठान "ए" तह. व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 6/24 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5 की 0.228 है. नहरी मय खाला मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टयर नहरी मय खाला कुल 0.481 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 (प्रदुमन सिंह, खजान सिंह, बलवीरसिंह) के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

संयुक्त रूप से 0.400 हैक्टयर कृषि भूमि दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 (लखविन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह, गुरमुखसिंह, गुरजोत सिंह पिसरान राजेन्द्र सिंह) के नाम 0.081 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 15 एफ बड़ा पटवार हल्का मटीलीराठान "ए" के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में 16 फुट 6 इंच यानि 0.025 है. चौड़ा एवं 150 फुट लम्बे मौका पर चल रहे रास्ता का प्रयोग करके प्रार्थी अपने रकबा में जाता है तथा प्रार्थी द्वारा अपने रकबा म प्रवेश किया जाकर रोजमर्रा के कृषि कार्य किए जाते है । उक्त मद में वर्णित अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता का प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए प्रयोग कर रहा है तथा उक्त रास्ता की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 ने, प्रार्थी से घरेलू बंटवारा के समय कृषि भूमि भी प्राप्त की हुई है । प्रार्थी ने दिनांक 28/01/2019 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव रखा तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने, प्रार्थी की बात को ठुकरा दिया। बस यही वाद कारण है इसलिए प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी नेकनीयत है, प्रार्थी रास्ता के सुखाधिकार को बहाल रखना चाहता है अन्यथा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो जावेगी। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने आज से पूर्व रास्ता के सम्बन्ध में भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 15 एफ बड़ा पटवार हल्का मटीलीराठान "ए" के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में 0.025 हैक्टयर मौका पर चल रहे रास्ता को स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता का राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत सहमति आदेशिका पर दर्ज करते हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत कथन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत निवेदन किया। तहसीलदार (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर से क्रमांक–राजस्व/2019/532 दिनांक 16.05.2019 के रिपोर्ट पेश हुई।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपने जाने के लिए रास्ते का अभाव है और प्रार्थी को आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। रास्ता स्वीकृत किये जाने अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 15 एफ बडा मटीलीराठान–ए के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में 0.025 हैक्टर मौका पर चल रहे रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में नियमानुसार रास्ते को दर्ज करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **02.12.2019** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:29:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: